मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक: एफ: 1-2/2013/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय देयको का **ई-भुगतान** करने के संबंध में ।

संदर्भ - वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 1-11/2010/नियम/चार, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार, दिनांक 22 अक्टूबर 2013.

--•••--

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापों के द्वारा समस्त विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों हेतु निर्देश जारी किये गये थे कि कोषालयों से प्राप्त किये जाने वाले भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा किये जाये। संदर्भित परिपत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 का पैरा-4 निम्नानुसार है :-

''शासन द्वारा संचालित कतिपय योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें खोले गये बैंक खातों में भारत सरकार अथवा किसी बाहय एजेंसी से सीधे राशि चैक अथवा ड्राफ्ट के रुप में प्राप्त होती है। ऐसी योजनाओं के बैंक खातों में राज्यांश उसी स्थिति में बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिये, जब भुगतान तत्काल ही हितग्राहियों को किया जाना हो।''

2/ शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कतिपय आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा ई-भुगतान के माध्यम से शासन से अनुमति प्राप्त कर खोले गये विभागीय बैंक खातों में तात्कालिक आवश्यकता से अधिक राशि आहरित कर जमा की जा रही है। राज्य के नगद

प्रबंधन एवं म.प्र. कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम -284 का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि विभागीय बैंक खाते में एक माह की आवश्यकता से अधिक राशि जमा न रहे । अतः विभागीय बैंक खाते में राशि जमा करने के लिये राशि के आहरण संबंधी कोषालय में प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ संबंधित बैंक खाते की पासबुक की नवीनतम प्रविष्टि की फोटोप्रति तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि राशि आहरण के पश्चात बैंक खाते का शेष एक माह की आवश्यकता से अधिक नहीं है, संलग्न किये जायें ।

3/ अतः अनुरोध है कि कृपया अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

17/1/13

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita
http://www.finance.mp.gov.in